न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0न0:- 01/2019 तारीख रजू:- 01.03.2019 निर्णय दिनांक :- 12.02.2021

पीठासीन अधिकारी :- सुशीला मीणा (आर.ए.एस.)

1. बबलू पुत्र मोतीलाल जाति खंगार निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. शिवाराज पुत्र मोतीलाल
2. सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल
3. मुन्नी देवी पुत्री मोतीलाल
4. जगदीश पुत्र मोती समस्त जातियान खंगार निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. तहसीलदार महोदय तहसील चौथ का बरवाडा

वकील अपीलाण्टः- श्री कपिल देव महावर एड0

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 458 ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा दिनांक 20.07.2005

-:निर्णयः-

1. अपीलाण्ट बबलू पुत्र मोतीलाल जाति खंगार निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा नामा0 सं0 458 ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा दिनांक 20.07.200 के विरूद्व यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि अपीलाण्ट एवं रेसपोन्डेट सं0 1 लगा0 4 एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाके ग्राम चौथ का बरवाडा में निवास करते है। नामान्तकरण संख्या 458 खोले जाने से पूर्व नामान्तकरण में अंकित आराजीयात खसरा नंबर 762, 763, 764, 765, 766, 782, 783, 784, 785, 786, 787 कुल किता 11 कुल रकबा 1.26 है0 अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोतीलाल पुत्र पांच्या जाति खंगार के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंदर्ज थी। अपीलार्थी के पिता मोती की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 17.05.2005 भरा गया तथा दिनांक 20.07.2005 को स्वीकार हुआ। मुताबिक नामान्तकरण अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल कर दिया गया।

2. अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी भूमि को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट 1 लगायात 4सामलाती रूप से कब्जे काश्त एवं उपमोग एवं उपयोग करते चले आये है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट 1 लगायात 4 के पिता की मृत्यु के बाद खोला गये नामान्तकरण संख्या 458 में अपीलार्थी के पिता के स्थान पर श्योराज, सत्यनारायण, अशोक, जगदीश व मुन्नी पिसरान मोती खंगार, कजोडी बेवा मोती खंगार के नाम खोला गया। नामान्तरण संख्या 458 दिनांक 20.07.2005 अपीलार्थी के पिता मोती की मृत्यु के उपरान्त भरा गया जो अपीलार्थी से पूछे बगैर भरा गया जैसा भी अपीलार्थी के परिवार वालो ने अपीलार्थी का नाम अशोक बताया उसी अनुसार नामान्तकरण में इन्द्राज कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के अन्य रिकॉर्ड दस्तावेजात बबलू पुत्र मोती के नाम से बने हुए है। जिस कारण अपीलार्थी केसीसी व अन्य कृषि उपयोगी लाभ से वंचित रह गया है। इस कारण अपीलार्थी का नामान्तकरण संख्या 458 में अशोक पुत्र मोती खंगार के स्थान पर बबलू पुत्र मोती खंगार किये जाने बाबत निवेदन किया। अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 20.07.2005 में अपीलार्थी का नाम दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के प्रमाण पत्र के आधार पर अशोक पुत्र मोती के स्थान पर बबलू पुत्र मोती दर्ज कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल किये जाने के आदेश करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:48:24 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोन्डेट न0 1ल0 6 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेसपोन्डेट न01 लगायत 4 ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया । जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने बताया गया है कि नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 20.07.2005 विरासत के द्वारा खोले जाने से संबन्धित है। जब उपरोक्त नामान्तकरण खोला गया तो अपीलार्थी का नाम बबलू के स्थान पर सहवन से अशोक भरने में आ गया जबकि अपीलार्थी का नाम दस्तावेजात में बबलू के नाम से मोजूद है। अपीलार्थी के पिता मोती के बबलू व अशोक नाम के दो अलग–अलग पुत्र नही है। अशोक व बबलू एक ही लड़के के नाम है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड व नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 20.07.2005 में अशोक पुत्र मोती के स्थान पर बबलू पुत्र मोती खंगार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सत्यापन पत्र में भी अशोक पुत्र मोती एवं बबलू पुत्र मोती एक ही व्यक्ति के नाम है।

4. तहसीलदार चोथ का बरवाडा से प्राप्त रिपोर्ट में भी अशोक पुत्र मोती एवं बबलू पुत्र मोती एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। अर्थात ये दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है दोनो अलग–अलग नहीं है।

5. वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 द्वारा भी अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि अपीलार्थी का नाम बबलू के स्थान पर अशोक सहवन से अंकित हो गया है। अतः इसे शुद्व किया जाना न्यायहित में होगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बबलू व अशोक एक ही व्यक्ति के दो नाम है। यह दोनो नाम अलग–अलग व्यक्ति के नही है। इसी प्रकार तहसीलदार चोथ का बरवाडा से प्राप्त रिपोर्ट में भी बबलू पुत्र मोती एवं अशोक पुत्र मोती एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है। इस कारण अपीलार्थी का नामान्तकरण संख्या 458 में अशोक पुत्र मोती खंगार के स्थान पर बबलू पुत्र मोती खंगार किये जाने बाबत निवदेन किया है।

6. हमने वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी की बहस का मनन एवं रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के अवलोकरन करने पर पाया कि विवादित नामा0 सं0 458 पटवारी हल्का द्वारा मृतक मोतीलाल के वारिसान श्योराज, सत्यनारायण, अशोक, जगदीश व मुन्नी पिसरान मोती खंगार, कजोडी बेवा मोती खंगार के नाम दिनांक 17.05.2005 को दर्ज किया गया तथा भू अ.नि. द्वारा इसकी जांच दिनांक 23.05.2005 को की गई। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2005 को निर्णय पारित किया गया है एवं स्वीकार किया गया। लेकिन उक्त नामान्तकरण में अपीलार्थी का नाम बबलू पुत्र मोती की जगह अशोक पुत्र मोती दर्ज कर दिया गया। प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र में अपीलार्थी का नाम बबलू खंगार पुत्र मोती खंगार दर्ज है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार बबलू एवं अशोक एक ही व्यक्ति के नाम है।

–:आदेश:–

अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 458 दिनांक 20.07.2005 ग्राम चौथ का बरवाडा निरस्त करते हुये तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उक्त नामान्तकरण में अपीलार्थी अशोक पुत्र मोती खंगार के स्थान पर अपीलार्थी का नाम बबलू पुत्र मोती दर्ज किया जावे एवं तदनुसार सभी पश्चातवर्ती राजस्व रिकॉर्ड जो इस नामान्तकरण पर आधारित है, को ठीक किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:48:24 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner